प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन मे 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखा परीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए है।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुसार किया गया है।